न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–5, कुशीनगर स्थान पडरौना।

एस०पी०एस०टी० नं०–01/2017

सरकार बनाम विग्गू जायसवाल व अन्य,

<u>02–05–2018</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। अभियुकतगण विग्गू जायसवाल व अनिरूद्ध यादव मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

आरोप के प्रश्न पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा प्रकरण खोलते हुए उन साक्ष्यों का वर्णन करते हुए प्रस्तावित किया जिनसे वे अभियोजन कथानक को साबित कराना चाहते है। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप बनाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। इसलिए अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाये। उपरोक्त तर्कों को सुनने व फर्द बरामगी, नक्शा नजरी, आरोप पत्र, केस डायरी व जी०डी० इन्ट्री का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि पत्रावली पर, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8B/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8B/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप विरचित किया जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–5,
कुशीनगर।

अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8B/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप अलग से विरचित किया गया। आरोप विरचित कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया और अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22–05–2018 को पेश हो। साक्षी एस०आई० ओम प्रकाश वादी मुकदमा व का० राजेन्द्र यादव चक्ष्युदर्शी साक्षी तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–5,
कुशीनगर।